प्रेसनोट दिनांक 05.05.2021

1. दिनांक 04.05.21 को वादी श्री अविनाश कुमार सिंह पुत्र नरेन्द्र बहादुर सिंह नि0 21/4/2 सप्तसागर कालोनी थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात स्कार्पियों का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के साले अनुरोध कुमार की मोटर साइकिल में टक्कर मार देना। चोट लगने के कारण इलाज के दौरान अनुरोध की मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 280/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 04.05.21 को वादी श्री रमेश सैनी पुत्र स्व0 बब्बन प्रसाद सैनी नि0 देवनगर कालोनी थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 43 एबी 2707 मारूति का चालक पवन गुप्ता नि0 शिवनगर थाना को0नगर अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की पुत्री को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना तथा घर व दुकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 283/21 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 04.05.21 को वादी श्री इन्द्रमणि मिश्र पुत्र राम प्रभाकर नि0 हैदरपुर थाना महराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूर्यमणि मिश्र पुत्र स्व0 राम प्रभाकर नि0 हैदरपुर थाना महराजगंज अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए वादी व उसकी पत्नी को लोहे की राड से मारना। जिसके संबंध में थाना महराजगंज में मु0अ0सं0 138/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. दिनांक 04.05.21 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सौरभ पुत्र शिवलाल नि0 कैथानी थाना रौनाही अयोध्या अभियुक्त द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क लगाये मार्केट में घूमना जिससे महामारी फैलने की संभावना होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 196/21 धारा 188, 271 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. दिनांक 04.05.21 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश त्रिपाठी थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजेता प्रधान सूबेदार सिंह पुत्र राम अवध सिंह नि0 झबरा थाना खण्डासा अयोध्या आदि 05 नफर व कुछ अज्ञात व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अभि0 सूबेदार सिंह द्वारा दरवाजे पर साउण्ड, डीजे लगाकर बिना मास्क लगाये भीड़ एकत्र कर खुशी मनाना, जिससे महामारी फैलने की संम्भावना होना। मना करने पर कार्य सरकार में बाधा पहॅुचाना व आमादा फौजदारी होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 86/21 धारा 188, 269, 171एच, 504, 353 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. दिनांक 04.05.21 को वादी उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव थाना को0रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश पुत्र फूलचन्द्र नि0 फत्तापुर खुर्द थाना को0रूदौली अयोध्या आदि 05 नफर व 100 अज्ञात व्यक्ति अभि0गण द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए एकत्र होकर तेज आवाज में डीजे बजाकर नाचना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना को0रूदौली में मु0अ0सं0 204/21 धारा 188, 269, 270 भादवि व 3 महामारी अधि0 व 51 आपदा प्रबंधन अधि0 व 6 ध्वनि प्रदूषण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।